

न्यायालय जिला कलेक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/30/2021

रजि० न० 2021/00164

अपीलार्थी:-

प्रत्यर्थी:-

श्री जितेन्द्र सिंह, निवासी प्लाट नं०
269, स्कीम नं० 1, आर्य नगर अलवर,
जिला अलवर

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति०
जिला कलेक्टर (द्वितीय), अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 02.03.2021

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 28.12.2020 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हें दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 02.03.2021 को उपस्थित आवे।
4. अपीलार्थी उपस्थित आया तथा अपीलार्थी को सुना गया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2021/473 दिनांक 18.02.2021 के माध्यम से अवगत कराया है कि वांछित सूचना तृतीय पक्षकार से संबंधित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 के पकाश में तृतीय पक्षकार को वांछित सूचना जारी किए जाने अथवा नहीं जारी किए जाने में सहमति/असहमति व्यक्त करने हेतु लिखे जाने पर उनके द्वारा उक्त सूचना पृकटन में पूर्ण असहमति जाहिर किए जाने के कारण एवं वांछित सूचना में बड़ा जनहित भी दर्शित नहीं होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11(3) व 8(1) के अलोक में आवेदन दिनांक 28.12.2020 खारिज कर पत्रांक लो.सू.अ./विविध/2021/177 दिनांक 21.01.2021 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलांत अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. लोक सूचना अधिकारी के दिये गये जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।
6. निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नन्मल पहाड़िया)
जिला कलेक्टर, अलवर